टूटती साँकलें

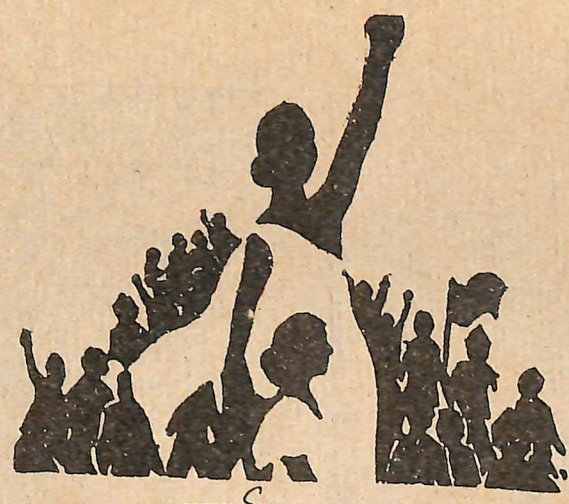

अंक - 4 मार्च 2006 सहयोग राशि :- 3 रुपये

सम्पादकीय

जुल्म के खिलाफ....

किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति का सही विश्लेषण करना है तो हमें उस समाज की आर्थिक - सामाजिक - सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना को समझना जरूरी है। भारतीय समाज और परिवारों में महिलाओं का दर्जा दोयम है। इसीलिए उन्हें तरह - तरह के शोषण का शिकार होना पड़ता है। भारतीय समाज में बे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छेड़खानी व बलात्कार जैसी समस्यायें झेल रही हैं। और तो और अब उसे जन्म लेने के हक से भी वंचित किया जा रहा है। 2001 में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 933 महिलायें थीं। आज हमारे देश में पुरुषों के मुकाबले 3.5 करोड़ महिलायें कम हैं। भारत में लिंग अनुपात सामन्ती राजस्थान में, हरित क्रांति के हरियाणा - पंजाब में और औद्योगिक रूप से आगे गुजरात और महाराष्ट्र में और दिल्ली में सबसे कम है।

हालाँकि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार महिलाओं की शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि उनकी संख्या पुरुषों से ज्यादा होनी चाहिये। इसलिये उनका जीवित रहने का अनुपात ज्यादा होता है। जहाँ भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर पोषण मिलता है, वहाँ उनकी संख्या 100 पुरुषों के मुकाबले 105 होती है। पूरे यूरोप और उत्तरी अमरीका में 100 पुरुषों के मुकाबले 105 महिलायें हैं

कन्या भ्रूण हत्या के लिए दम्पति और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा समाज, भ्रष्ट राजनीति व लचर कानून व्यवस्था भी जिम्मेदार है। दहेज प्रथा और शादी पर होने वाले खर्च के कारण बेटी को आर्थिक बोझ समझा जाता है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण ये खर्च तो बढ़ ही रहा है, बेकार के रीति रिवाजों को भी बढ़ावा मिल रहा है। भूमण्डलीकरण और आर्थिक सुधारों के कारण सरकार ने अपनी बुनियादी जिम्मेवारियों से हाथ खींच लिए हैं जिसका बुरा प्रभाव मजदूरों, गरीबों और खास तौर पर महिलाओं पर पड़ा है। जिसने भौतिक और वैचारिक तौर पर लोगों को लिंगचुनाव में लड़का पैदा होने के लिए प्रोत्साहित किया है। समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, छेड़छाड़ या बलात्कार और असुरक्षित माहौल ने भी लड़की के बदले लड़के को पैदा करने का माहौल तैयार किया है। आसानी से उपलब्ध अल्ट्रा साउण्ड मशीनें लिंग जाँच कर कन्या भ्रूण को खत्म कर रही हैं।

यदि इसी तरह स्त्री - पुरुष अनुपात में अन्तर बढ़ता रहा तो यह हिंसा महिलाओं पर और हिंसा को जन्म देगी।

अब सवाल यह उठता है कि जिस समाज में, जिस देश में नारी को केवल 'माल' समझा जाता हो, जहाँ का कानून भी उसे बराबरी का दर्जा न देता हो, जहाँ के पढ़े - लिखे लोगों में ही नारी भ्रूण हत्या का ज्यादा प्रचलन हो, जहाँ महिलायें केवल एक प्रतिशत सम्पत्ति की ही मालिक हों, जहाँ डॉक्टर भी किसी की जान लेने पर आमादा हों, वहाँ इस बीमारी को कैसे जा सकता है।

के लिए जरूरत है कि समाज की बेहतरी चाहने वाली प्रगतिशील शक्तियाँ इस पुरुष प्रधान ढाँचे के खिलाफ गोलबन्द हों तथा इस समस्या को जन्म देने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक हालातों की जड़ पर प्रहार करें।

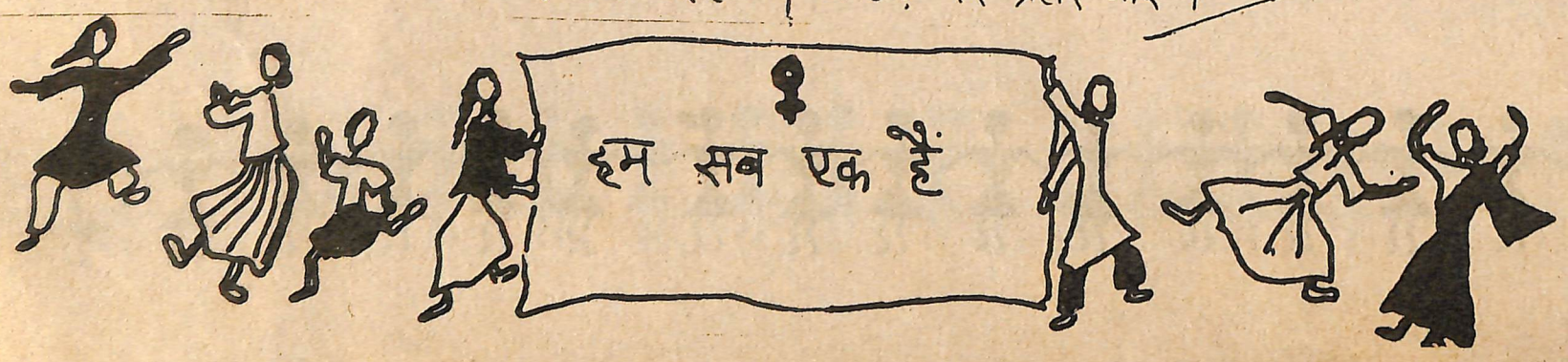

विद्रोह - शोषण के विरुद्ध

ऐ नारी
तेरे जीवन की शुरूआत
कुछ इस तरह से हुई
कि घर में
मातम का सा माहौल छा गया ।
माँ के बहते थे जार जार आँसू
बाप का कलेजा थर्रा गया ।
बचपन ऐसे बीता
जैसे कभी आया ही न हो
वो दिन भर हँसना, गुड़िया गुड़्डे
ऐसे छूटे जैसे कभी खेले ही न हों
तेरी हर हरकत पर बन्धन
कुछ इस तरह से बंधे
कि बंदिशों का माहौल छा गया ।
अभी सीखे भी न थे
पूरी तरह इस जेल के नियम
कि तबादला
दूसरे जेल में हो गया तेरा
वहाँ मिले कुछ नए रिश्ते
तो नवजीवन की शुरूआत
कुछ इस तरह से हुई
कि रिश्तों से समझौतों का माहौल छा गया
तूने अपने हृदय को चूर चूर कर
पत्थर बनकर
अपने शराबी दुराचारी पति को
देवताओं की पंक्ति में बिठाया
पिता, पुत्र, पति द्वारा
अपमान करने पर भी तूने
आँचल उनकी हितकामना को फैलाया
किन्तु क्या ये तेरी अज्ञानता नहीं
कि पत्थर के समान
सब कुछ सहकर
उपेक्षित तू कुछ इस तरह से हुई
कि जड़ता का अँधेरा
जीवन में छा गया ।
जागो, तुम्हें जागना होगा।
उठो, तुम्हें उठना ही होगा ।
करो विद्रोह
शोषण के विरुद्ध
और फिर इस नव पथ पर
अग्रसर तुम कुछ इस तरह से हो
कि वातावरण में उजालों का
संसार छा जाये ।

– रविना

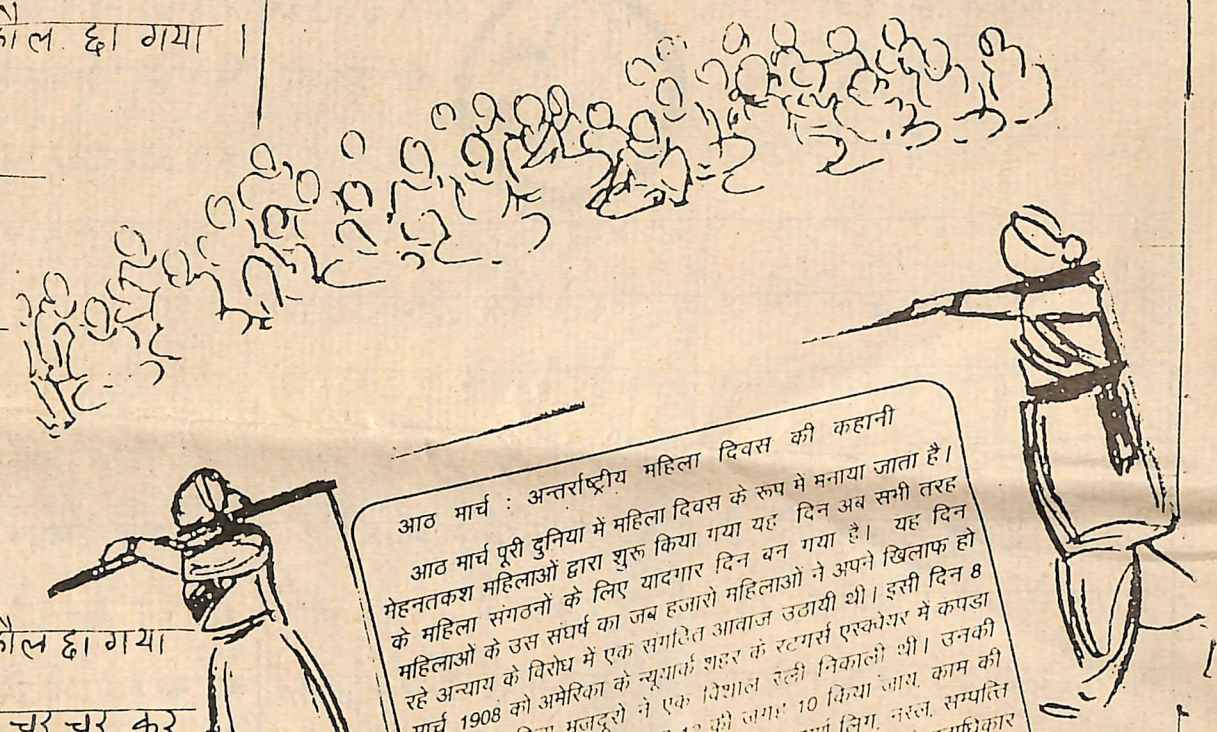

आठ मार्च : अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कहानी

आठ मार्च पूरी दुनिया में महिला दिवस के रूप मे मनाया जाता है। मेहनतकश महिलाओं द्वारा शुरू किया गया यह दिन अब सभी तरह के महिला संगठनों के लिए यादगार दिन बन गया है। यह दिन महिलाओं के उस संघर्ष का जब हजारो महिलाओं ने अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के विरोध में एक संगठित आवाज उठायी थी। इसी दिन 8 मार्च, 1908 को अमेरिका के न्यूयार्क शहर के रटगर्स एस्क्वेयर में कपड़ा मिल की महिला मजदूरों ने एक विशाल रैली निकाली थी। उनकी मुख्य मांगे थी– कार्य का घण्टा 12 की जगह 10 किया जाय, काम की स्थितियां स्वस्थ व सुरक्षित हों, व सबसे महत्वपूर्ण लिंग, नस्ल, सम्पत्ति और शैक्षणिक योग्यता पर भेदभाव के बगैर सभी बालिगो को मताधिकार प्रदान किया जाये।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मजदूर वर्गीय महिलाओं की जनकार्यवाही से प्रेरित होकर 1910 मे डेनमार्क के कोपेनहेग शहर मे समाजवादी महिलाओं के दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मेहनतकश औरतों की नेता क्लारा जेटकिन ने 8 मार्च को ही अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप मे मनाने का प्रस्ताव रखा, और तब से 8 मार्च को पूरी दुनिया मे महिलाओ के संघर्षो के यादगार दिन के रूप मे मनाया जा रहा है।

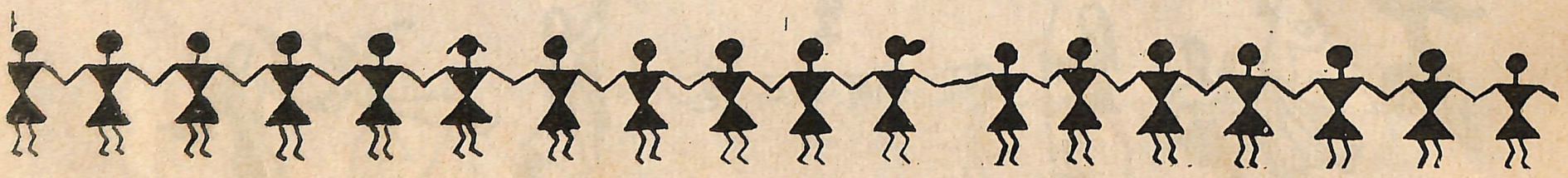

आखिर क्यों ?

मेरी है अब ये पुकार
लेना है अब हम लड़कियों को भी अधिकार ।
नहीं सहेंगे जुल्मों को अब
हमें भी चाहिए बराबरी का आधिकार ।
क्यों लड़की को ही सताते हैं ?
क्यों इन्हें ही अबला बताते हैं ?
क्यों इन्हें तुम रुलाते हो ?
क्यों घुटकर जीना ही इनकी किस्मत बतलाते हो ?
क्यों इन्हें तुम जिन्दा जलाते हो ?
क्यों जीने का अधिकार इनसे छीनते हो ?
क्यों औरों के पाँव से चलना सिखाते हो ?
क्यों लड़की को अपने जुल्मों का शिकार बनाते हो ?
नहीं सहेगी अब ये तुम्हारे जुल्मों को
देगी तुम्हें इसका भी जवाब
घूँघट की दीवार तोड़कर अब
जंग को जीना सिखलायेगी
तुम्हे भी ये जानवर से इंसा बनायेगी
असली रहनुमा इस समाज का
बन कर वो दिखलायेगी

बिना संघर्ष किये ऐ बहनों
आता कुछ भी हाथ नहीं है ।
इसलिए तुमसे मेरी है पुकार
लेना है हमे भी जीने का अधिकार ।
बहुत सह चुकी
अब न सहो, इन जालिमों के जुल्मों को
अब आवाज उठाना है इनके जुल्मों के खिलाफ
जो नारी को अबला कहते हैं
उन्हें सबक सिखलायेंगे
हम अपनी एकजुटता के बल पर
इन सबको समझायेंगे ।
दहेज मांगने वालो को नाको चने चबवायेंगे
चूड़ी कंगन तोड़ हाथ से
बन्दूके उठायेंगे
अपने हक की खातिर हम
दुनिया से टकरायेंगे ।

• आरती

नई दुल्हन

बहन की शादी से सायरा बहुत खुश थी । पर वो खुशी तब एकदम छू हो गई जब उसे पता चला कि उसकी बहन दो बेटियों को दुनिया में अकेले छोड़कर मौत के मुँह में चली गई है । अभी इस खबर से सायरा सम्भल भी न पाई थी कि घरवालों ने बच्चों की परवरिश और दहेज न देने के चलते उसकी शादी उसके जीजा से कर दी । हँसती खेलती, उससे पहले ही पति का दुष्ट रूप सामने आ गया । चूँकि पति को नई दुल्हन के साथ मोटी ताजी रकम भी चाहिये थी और उसकी यह मंशा पूरी न हुई । और फिर सायरा को पति ने उसी तरह मानसिक एवं शारीरिक यातनाएँ देनी शुरू कर दीं जिस तरह उसकी बड़ी बहन को देता था । और अंततः एक बच्ची की माँ सायरा की भी मौत हो गई जैसे उसकी बहन की हुई थी ।

• तीन नहीं कलियाँ रोते-रोते पल रही हैं, क्या नई दुल्हन की तरह फिर मरने के लिए ?

• तस्लीम

स्त्रियों की तो शामत आई

हमारी सभ्यता के अनुसार 'गुरू देवो भव:'। इसके अनुसार गुरू इतना ऊपर है कि उसके समक्ष ईश्वर का अस्तित्व भी छोटा है और गुरूओं के लिए शिष्य उनके बच्चों का रूप है। लेकिन इन गुरुओं पर आज के समाज में पुरूषता इतनी हावी हो गई है कि वो अपना अस्तित्व भूलकर बस अपने पुरूषार्थ की हवस मिटाना चाहते हैं जिसके लिए उनको अपने शिष्यों का शरीर भी चाहिये। इन शिक्षकों को न उन मासूमों की मासूमियत पिघलाती है न उनका रोना बिलखना सुनाई पड़ता है। शिकार बनने के बाद भी महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। इस समाज में महिलाओं की सुनवाई ही नहीं होती।

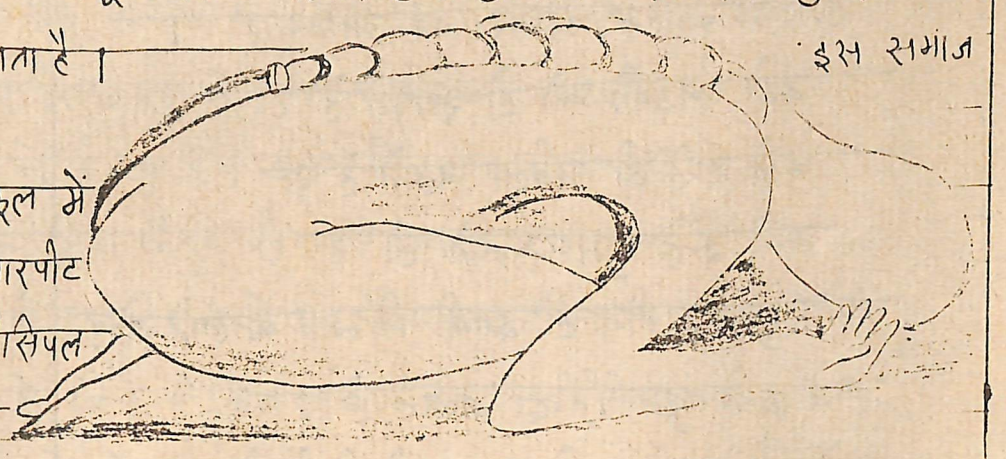

अभी कुछ समय पहले ही हमारे पास के एक स्कूल में दस साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की गई। मारपीट करने के बाद जब बच्ची ने प्रधानाचार्य से शिकायत की तो प्रिंसिपल ने "यह हमारी जिम्मेदारी नहीं थी" कहकर पल्ला झाड़ लिया। इतना होने के बाद घरवालों ने भी इस दकियानूसी समाज में अपना 'मान सम्मान' बरकरार रखने के लिए रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। क्या कहें, हमारा समाज सड़ चुका है, जहाँ लड़की को जीवित नहीं रहने दिया जाता। पूरी तरह पलने के लिए सुरक्षित माहौल नहीं दिया जाता, कदम कदम पर हिंसा की जाती है, वहाँ के स्कूलों में भी अब पुरूष सत्ता हावी हो चली है।

हरियाणा के शिक्षकों द्वारा छात्राओं के साथ जोर जबर्दस्ती, नम्बर काटने की धमकी आदि के बाद उसके साथ सम्बन्ध बनाया जाता है और किसी के गर्भवती होने के बाद उस नन्हीं सी जान, कोख में पलने वाले बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिये जाने के लिए दबाव बनाया जाता है।

अब हमें सोचना होगा कि इन दुष्कर्मियों, पागल कुत्तों को और अधिक बढ़ने देंगे या हम सभी मिलकर स्त्रियों को सुरक्षित माहौल देने की मुहिम छेड़ेंगे। ऐसे दरिन्दों को प्रोत्साहित करने वाले हर तन्त्र से हमें लड़ना होगा और सुरक्षित समाज का निर्माण करना होगा ताकि हम अपने अस्तित्व को बचाते हुए खुलकर जी सकें।

जाग नारी जाग
तू कमजोर अबला नहीं एक बलवान है
तेरे द्वारा किया गया प्रयास
एक नए उँग का उत्थान है

• कमलेश

• सोनिया

पाँवों से अपने धरा
दलने लगी हूँ मैं
छोड़कर बैसाखियाँ
चलने लगी हूँ मैं
बन लता कमजोर सी
बरगद चढ़ी थी मैं
बरगदों को छोड़कर
पलने लगी हूँ मैं

"महिलाएँ अपने कंधों पर आधा आसमान उठाई हुई हैं और उन्हें हर हालत में इसे जीतना चाहिए"

• माओ

युवती ने जल कर खुदकुशी की

गर्भवती महिला खाना बनाते झुलसी

महिला को जलाने के आरोपी बरी

मां-बेटी को डायन बता मार डाला

बेटे की चाह ने फिर ली नवजात बेटी की बलि

धनबाद में आदिवासी लड़कियों से बलात्कार

मप्र में बच्चों और महिलाओं की जिंदगी भगवान भरोसे

युवती पर तेजाब फेंका

भारत में जमकर बाल यौन शोषण करते हैं पर्यटक

दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज

छात्राओं से बलात्कार कर शिक्षकों ने कलंकित किया गुरु-शिष्य रिश्ता

अस्मत की कीमत 21 हजार और पांच जूते

पुलिसिया कहर, बहन को भाइयों के सामने निर्वस्त्र किया

मां-दादी को डायन के शक में मार डाला

दो नवजात बच्चियों के शव मिले

दहेज हत्या में पति, सास और ससुर गिरफ्तार

पति के सामने महिला से सामूहिक बलात्कार

बहादुर लड़की को मां-बाप ने घर से निकाला

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म

पुत्र वधू से दुष्कर्म

नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, युवक बंदी

बलात्कार से दुखी युवती ने आत्महत्या की

दहेज दानवों से तंग आ दो ने जान दी

लड़की का अपहरण कर रातभर हवस का शिकार बनाया, सिगरेटों से दागा

दस माह की बच्ची से दुष्कर्म

छेड़छाड़ के विरोध पर किशोरी के चेहरे पर ब्लेड मारा

मां को बंधक बना नाबालिग से सामूहिक बलात्कार

बच्ची से दुष्कर्म, तीन दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट

बाप ने डेढ़ माह की बेटी को मार डाला, फरार

गर्भवती पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में पति बंदी

पति ने ही दोस्तों के हवाले किया

पड़ोसी ने किया किशोरी से दुष्कर्म, बंदी

मुजरिमों को कानूनी संरक्षण

फिर एक बार हमारे अन्धे कानून ने आरोपियों को खुले आसमान के नीचे घूमने के लिए छोड़ दिया। हमारे देश की यह लचर व्यवस्था एक बार फिर से बाहुबलियों के आगे घुटने टेक गई। और जेसिका लाल को न्याय नहीं दिला सकी जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शराब परोसने से इनकार कर दिया था।

आश्चर्य की बात है न्याय व्यवस्था का यह खोखलापन इस तरह से अमीरों के लिए वरदान साबित होता है कि वो जघन्य अपराध करते रहते हैं और ये न्याय व्यवस्था उन्हें बरी करती रहती है। सात साल का लम्बा समय गवाहों को झूठा साबित करने के लिए काफी होता है। सामने ही सामने ये व्यवस्था पता होते हुए भी उन्हें छोड़ देती है।

यही नहीं, न जाने अब तक कितने ही आरोपित अमीर, बड़े-बड़े अपराध करके भी छूट जाते हैं। अगर ये न्याय करने वाली न्याय व्यवस्था यूँ ही अन्धी रही तो आम इनसान ही दोषी ठहराया जाता रहेगा। न्याय देने वाली न्याय व्यवस्था जब इतनी सड़ जाए कि उसमें से बदबू आने लगे तो उसे एकजुट होकर उखाड़ फेंक देना चाहिए।

सुनीता

जाति व्यवस्था से अलग नहीं है पितृसत्ता का सवाल

इतिहास के विभिन्न चरणों में महिलाओं का दोयम दर्जा दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में देखा गया है। मगर इसकी व्यापकता व स्वरूप, स्थान व काल विशेष की परिस्थितियों, जैसे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वातावरण के हिसाब से तय होती रही है। भारतीय सन्दर्भ में भी पितृसत्ता की संस्था का उदय व उसके स्वरूप में बदलाव विभिन्न कालों में परिस्थिति विशेष पर निर्भर रहा है। भारत की जाति व्यवस्था जो अपने किस्म की अनोखी संस्था है, ने भी पितृसत्ता को अपने हिसाब से ढाला है। अतः पितृसत्ता की संस्था को समझने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि किस तरह जाति और लिंग जैसी संस्थाएं भारतीय इतिहास में एक दूसरे को आकार देती रहीं व इनकी जड़ें और गहरी होती रहीं। इतिहास में यह देखा गया है कि महिलाएं जिस भी वर्ग से आयें या वे जिस किस्म की भी आर्थिक स्वतन्त्रता में जियें लेकिन हमेशा ही उनकी यौनिकता पर मर्दों का नियन्त्रण रहा है। इसलिए महिलाओं के दोयम दर्जे को केवल आर्थिक कारण न मानकर इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि किस प्रकार समाज में यौनिकता को नियन्त्रित किया जाता रहा है और किस तरीके के पुनर्उत्पादन की प्रक्रिया संचालित होती रही है। भारतीय सन्दर्भ में वर्ग और जाति दोनों ने ही उत्पादन की प्रक्रिया को संचालित किया है और कुछ जाति विशेषों ने उत्पादन को अपने नियन्त्रण में रखा है जबकि अन्य जातियों केवल श्रम मुहैया करवाती रही हैं। इसी तरह पुनर्उत्पादन भी पुरुषों द्वारा संचालित रहा है, जिसमें कि महिला की यौनिकता जो कि एक महत्वपूर्ण गुण/सम्पदा है, भी पुरुषों के द्वारा नियान्त्रित रही है।

विवाह का ढाँचा, यौनिकता व पुनर्उत्पादन जाति व्यवस्था को कायम रखने का आधारभूत स्तम्भ है, जिनके द्वारा ही समाज में वर्ग और जातिगत असमानता कायम है। पुनर्उत्पादन पर नियन्त्रक के माध्यम से पूरे उत्पादन तन्त्र पर जाति व वर्ग विशेष का कब्जा कायम है।

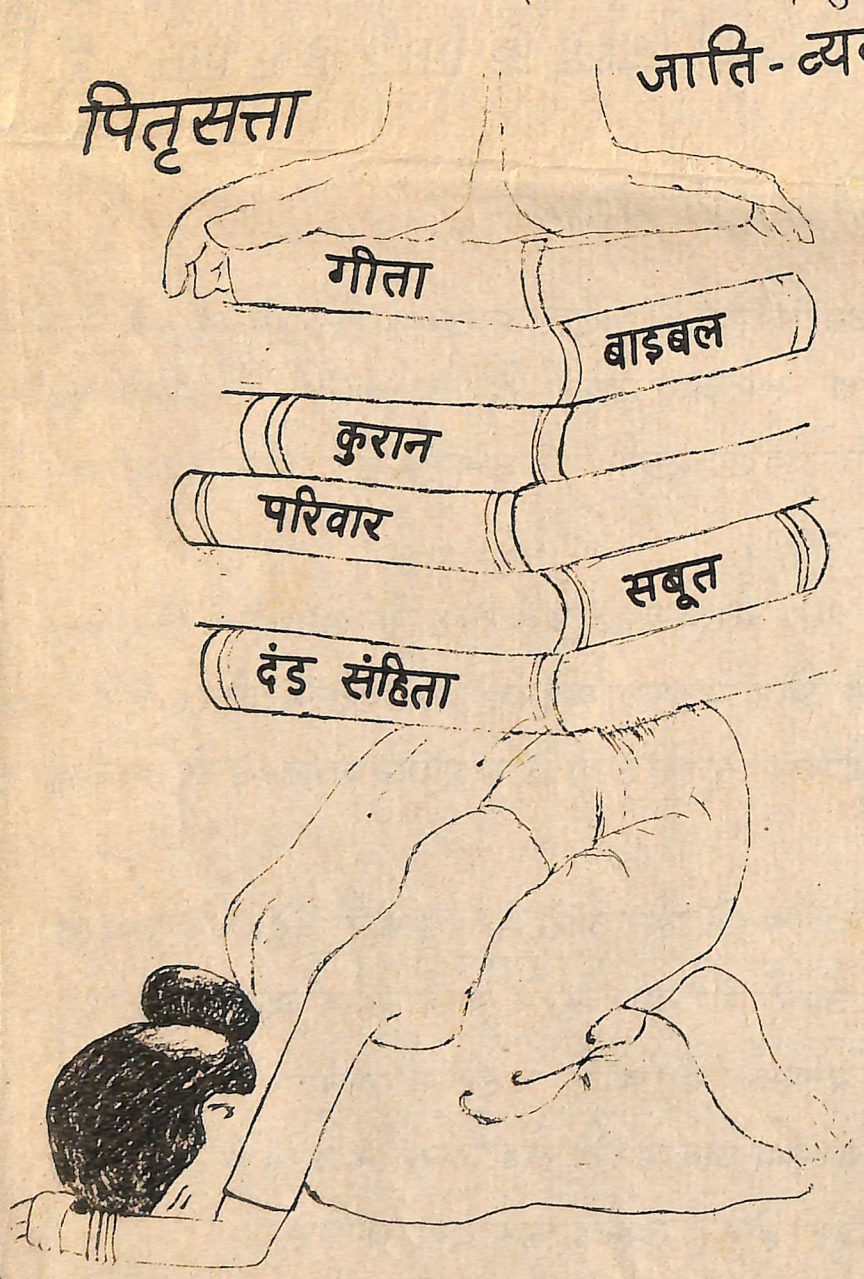

इस जातिवादी ढाँचे को जिन्दा रखने की यह पहली शर्त है कि महिलाएँ अपनी ही जाति में शादी करें, ताकि उस जाति के वंशज पैदा हो सकें और उस जाति की सम्पत्ति अन्य जातियों में न जाए। इस प्रकार उस सम्पत्ति पर ऊँची जातियों का कब्जा भी बना रहे और उसकी देख-रेख के लिए उसी जाति के वंशज भी पैदा होते रहें। इसीलिए जाति के बाहर शादी के खिलाफ तमाम ऊँची जातियों ने इस प्रशासन व न्याय व्यवस्था के साथ मिलकर कमर कस ली है और अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को जात-पंचायत के आदेशों पर बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जाति व्यवस्था के खात्मे का सवाल नारी-मुक्ति के सवाल के साथ भी जुड़ जाता है, क्योंकि महिलाओं को अपनी जिन्दगी पर फैसला लेने का अधिकार इस ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बिल्कुल नहीं है।

मेरे सवाल

आखिर क्यों होता है महिलाओं पर जुल्म और क्यों सहती हैं महिलाएं जुल्म ?

एक तरफ हमारा समाज औरत को माँ, बेटी, बहन का दर्जा देता है दूसरी तरफ उन्हीं के ऊपर हर तरह की बन्दिशें लगाई जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब व्यवहार क्या कहलायेगा, हमारा मान या अपमान? सरकार औरतों को मर्दों से कम दर्जा नहीं देने की बात करती है, पर क्या वो दर्जा हमें मिल पाता है? नहीं मिलता, क्योंकि सब हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कोई पैसे देकर तो कोई हमारी गरीबी देखकर। जब कोई हमें छेड़ जाये तो उल्टा हमें ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। लड़की ही समाज में दोषी ठहरायी जाती है, लड़के को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। ऐसे में इस समाज और कानून को हम अपना कैसे मानें? हमारी पहचान कहाँ है? हमारे अधिकार कहाँ हैं? इस समाज को बदलें तो कैसे?

- मीरा

मेरी बात

मैं नूरजहाँ, एक घरेलू महिला हूँ जो अपने घर परिवार की गरीबी से तंग आकर एक एक्सपोर्ट की कम्पनी में काम करती हूँ। मेरी ज़िन्दगी मेरी अपनी नहीं रही। घर से लेकर बाहर तक सिर्फ काम। सुबह उठना, उठकर बिना कुछ खाये पीये एक कोल्हू के बैल की तरह पति के लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, घर में झाड़ू-पोंछा-बरतन कर फैक्ट्री जाना, जाते वक्त बसों में भयानक भीड़ जिसमें छेड़खानी का शिकार होना। यहाँ तक ही नहीं फैक्ट्री के गेटकीपर से लेकर सुपरवाइज़र की बदतमीज़ी को सहते हुए सहकर्मियों के भद्दे मजाक, गन्दी छींटाकशी बहुत परेशान कर देती है। काम मुश्किल से मिलता है, मर्दों से कम वेतन दिया जाता है, पानी भी साफ नहीं आता, शौचालय भी गन्दा रहता है, ऐसी हालत में भी काम करना पड़ता है। इनके खिलाफ बोलने से डर लगता है क्योंकि परिवार को चलाना है। घर आकर फिर से घर के कामों में लगना, पति के घर में घुसते ही गाली गलौज व मार पीट और तलाक जैसे शब्दों का सामना करना। हम सभी को ऐसी ही मानसिक व शारीरिक मार झेलनी पड़ती है और यूँ ही हम इन्हें झेलती रहती हैं, घुटती रहती हैं। आखिर कब तक हम चुप रहकर इस बोझ भरी ज़िन्दगी को झेलते रहेंगे। कब होगा इन परेशानियों का अन्त। हम कुछ करना चाहते हैं, पर मंच कहाँ है, भंवर में फँसे पड़े हैं, कहाँ जायें?

- नूरजहाँ

हमारी दिशा

हो जाए बातचीत, बन जाए दोस्त
और
बढ़ जाए रोशनी और हिम्मत!

स्त्रियों की स्थिति शुरू से दर्दनाक रही है, चाहे वह राजाओं-महाराजाओं द्वारा सताई गई हों या फिर अपने परिवार वालों द्वारा। लोगों का मानना है कि पृथ्वी और स्त्री एक जैसे हैं जिसे सब कुछ सहना पड़ता है। अगर पृथ्वी अपना आक्रोश ज्वालामुखी द्वारा निकालती है तो स्त्री को अपना आक्रोश निकालने का हक क्यों नहीं है?

वह अपने ऊपर किए गए जुल्मों व अत्याचारों का डट कर सामना क्यों नहीं कर सकती? आज की नारी पढ़ी-लिखी व समझदार है उसे पूरा अधिकार है कि अगर कोई फैसला उसके रिश्ते, परिवार या फिर उसके सम्बन्ध के हक में नहीं हो रहा है, उसे गलत फैसले का सामना करना पड़ रहा है तो वह सब रूढ़िवादी परम्परा, सामन्ती पंचायतों व कानूनी मामलों में अपनी आवाज उठाये। मेरा सारी बहनों से यही निवेदन है कि वह अपने हक को पहचाने और अपने ऊपर हो रहे घिनौने अपराधों को होने से रोकने की कोशिश करें। मेरा पूरा यकीन है आपके द्वारा किया गया यह प्रयास असफल नहीं जायेगा, यह एक नए समाज की स्थापना होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है व अपने अधिकारों की मांग कर सकता है।

० कमलेश

आपकी प्रतिक्रियाएँ

① हमने अखबार टूटती साँकलें पढ़ा। जिसमें हमने आज के युग में हो रहे महिला के ऊपर अत्याचारों को पढ़ा। यह सच है कि आज भी लड़कियों को वो सम्मान नहीं दिया जाता जिसकी वो हकदार हैं। अखबार में कविता और कहानियों के अलावा कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए कि जिससे हर महिला के अन्दर जागरुकता आए और वह अपने को किसी से कम न समझे क्योंकि महिला भी किसी पुरुष से कम नहीं है वह वो हर काम कर सकती है जिसकी वह हकदार है। अब वह उन बेड़ियों में बंधना नहीं चाहती जिसमें वह बंधी थी। अब वह आजाद होना चाहती है सिर्फ आजाद। सोई हुई इस दुनिया को जागृत करना ही होगा।

० ललिता

② टूटती साँकले पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। 'बोलो न माँ' कविता और 'बलात्कार' महज एक शब्द नहीं' लेख मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि यह प्रति माह निकले तथा यह गांव-गांव तक जाए। यह अखबार एक अच्छा प्रयास है। अत्याचारों, शोषण के खिलाफ उठती हुई आवाज है।

० तस्लीम

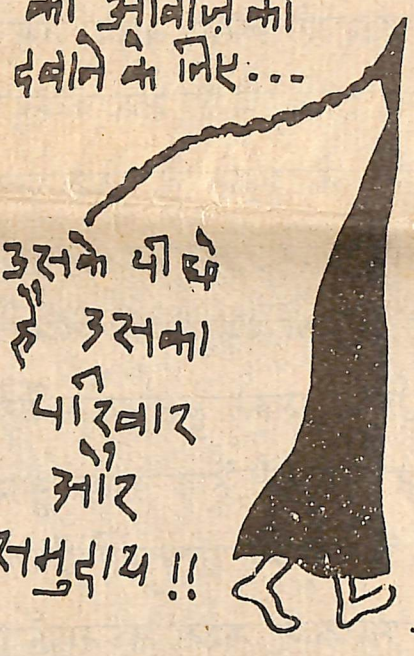

इन्हीं सब महिलाविरोधी तन्त्रों को उखाड़ फेंकने के लिए **नारी मुक्ति संघ** संघर्षरत है और इसमें आपकी भागीदारी आवश्यक है

० नारी मुक्ति संघ

पाठकों से

"टूटती साँकलें" समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने व उनसे एकजुटता बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अतः सहर्ष आमंत्रित आपकी प्रतिक्रियाएँ, रचनाएँ, अपने क्षेत्र में घटने वाली महिला संबन्धी घटनाएँ, संघर्ष की रिपोर्ट्स

० सम्पादक मण्डल

सम्पर्कसूत्र

'भारती'
1106, जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. इन्क्लेव
नन्द नगरी दिल्ली-93
Cell — 9899829781